

गद्दी पत्रांक
 पानी की वकील वकी की वदन सुनो मरि
 रमिति रीति है दिनांक 10/07/22 को पत्रांक
 उप खण्ड अधिकारी
 विडवा जिला सुन्डुनु (राज.)

0507
 22

पत्रांक की पत्रांक 507 पत्रांक में आप आदेश दिया जाता है
 वदन सुनो मरि वकी की वदन उपराजत आभास
 मरि उचित समझता है की वदन वकी वकी
 किला जिला वकी राजस्थान गृह मन्त्रालय के जमीन के
 दाल खसरा जं 503 खसरा 1/12 वकी में वकी वकी
 वकी वकी 1/8 दिसा, वकी वकी 2 खसरा का 1/24
 दिसा, वकी जं 3 वकी वकी 1/24 दिसा, वकी वकी 4
 वकी वकी वकी वकी वकी 1/6 दिसा, वकी वकी वकी वकी
 वकी 1/3 दिसा के स्थान पर 1/4 दिसा, वकी वकी वकी
 वकी 2 वकी वकी वकी 1/6 के स्थान पर 1/8 दिसा, वकी वकी
 वकी 3 वकी वकी वकी 1/6 के स्थान पर 1/8 दिसा व
 वकी वकी वकी वकी वकी 1/6 के स्थान पर 1/8 दिसा
 वकी वकी वकी दिसा वकी वकी वकी वकी वकी
 वकी वकी वकी वकी वकी



उप खण्ड अधिकारी
 विडवा जिला सुन्डुनु (राज.)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपर्युक्त अधिकारी का नाम सुख
 बनाम जयदेव
 नंबर दावेदी नं. दण्ड सन दण्ड

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
------------------------------------	---

उसी अनुसार राजस्य रिपोर्ट में उक्त
 कृत्य करी तादानीतक निष्पत्ती को तदर्थ
 जारी की उपर वर्गीत अधिकारी की
 पालना राजस्य रिपोर्ट में करी परापूर्वी रिपोर्ट
 मुतीर ही परापूर्वी कृत्य को उक्त कृत्य
 उक्त कृत्य को जयदेव को तदानीतक निष्पत्ती
 उप खण्ड अधिकारी
 विडावा जिला इंडिया (राज.)